न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 19/2019

बउनवानः—

ज्ञानचंद पुत्र राजमल जाति महाजन निवासी मांगरोल तह0 मांगरोल

...वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 आर0टी0एक्ट0

वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांकः 15.02.2019

निर्णय दिनांक : 18.02.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मांगरोल के खाता संख्या 360 पुराना 387 की आराजी खसरा नं0 3529 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 3538 रकबा 2.53 है0, खसरा नं0 3540 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 रकबा 3.28 है0 स्थित है। वादी वृद्ध है तथा आंखो से भी कम दिखता है। तथा उक्त भूमि से संबन्ध कार्य करने हेतु प्रार्थी को अपने पुत्र अजीत कुमार जैन को ले जाना पडता है तथा सिंचाई कर व अन्य लगान हेतु मुझे परेशान होना पडता है। मैं चाहता हूं कि सभी भूमि संबंधि राजकीय कार्य मेंरे स्थान पर मेंरे पुत्र के हस्ताक्षर से जो जायें जिसमे मेरी पूर्ण सहमति है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि की वर्तमान जमाबंदी में स्वेच्छा से सहखातेदार के रूप में अमित करवाना चाहता है जिससे कि मुझे परेशानी का सामना न ही करना पडेगा। अतः निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजी ग्राम मांगरोल के खाता संख्या 360 पुराना 387 की आराजी खसरा नं0 3529 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 3538 रकबा 2.53 है0, खसरा नं0 3540 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 रकबा 3.28 है0 में अजीत कुमार जैन को सहखातेदार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) को दिया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 15.02.2019 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल(लैण्ड होल्डर) पैरोकार सरकार को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल(लैण्ड होल्डर) पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 18.02.2019 को मजमेआम में उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वाद पत्र की समस्त मद स्वीकार की है एवं

निवेदन किया है कि ग्राम मांगरोल की आराजी खाता संख्या 360 पुराना 387 की आराजी खसरा नं0 3529 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 3538 रकबा 2.53 है0, खसरा नं0 3540 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 रकबा 3.28 है0 जो वादी की खातेदारी व स्वामित्व की है। स्वेच्छा से अपने एकमात्र पुत्र अजीत कुमार जैन का नाम सहखातेदार में दर्ज करने की प्रार्थना की है जिसमें प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल(लैण्ड होल्डर) पैरोकार सरकार को कोई आपत्ति नही है। वादी के अधिवक्ता ने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं वादी ज्ञानचन्द पुत्र राजमल जाति महाजन निवासी मांगरोल व बाबूलाल पुत्र हीरालाल उम्र 68 वर्ष जाति माली निवासी मांगरोल, श्री रामनारायण पुत्र गेन्दीलाल जाति माली निवासी मांगरोल के तस्दीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। शपथ पत्र अनुसार वादी वृद्ध है एवं भूमि संबंधी राजकीय कार्य करने में असमर्थ है अतः वादी की कब्जे व खाते की आराजी ग्राम मांगरोल की आराजी खाता संख्या 360 पुराना 387 की आराजी खसरा नं0 3529 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 3538 रकबा 2.53 है0, खसरा नं0 3540 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 रकबा 3.28 है0 में सहखातेदारान के रूप में वादी के पुत्र अजीत का नाम दर्ज किये जाने में किसी प्रकार का विवाद नही है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वकील वादी व प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की दिनांक 18.02.2019 को उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने इकबालिया जवाब में वादी के पुत्र अजीत का नाम ग्राम मांगरोल की आराजी खाता संख्या 360 पुराना 387 की आराजी खसरा नं0 3529 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 3538 रकबा 2.53 है0, खसरा नं0 3540 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 रकबा 3.28 है0 में सहखातेदारान के रूप मे दर्ज किये जाने में सहमति जाहिर की है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में संलग्न दस्तावेजात, सुनी गयी बहस उभयपक्ष व तहसीलदार मांगरोल के इकबालिया जवाब व तस्दीक शुदा शपथ पत्र के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं वादी की कब्जे व खाते की आराजी ग्राम मांगरोल की आराजी खाता संख्या 360 पुराना 387 की आराजी खसरा नं0 3529 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 3538 रकबा 2.53 है0, खसरा नं0 3540 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 रकबा 3.28 है0 में वादी ज्ञानचंद पुत्र राजमल के साथ–साथ वादी के एक मात्र पुत्र अजीत कुमार पुत्र ज्ञानचंद का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।